RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 239
दि. 30.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : VINOD KUMARI Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

इंसाफ की लंबी राह: 34 साल बाद मिला हक पर फैसला सुनने से पहले ही थम गई सांसें

(जीएनएस)। नई दिल्ली। न्याय व्यवस्था की जटिलताओं और लंबी प्रक्रिया पर एक बार फिर सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो इंसाफ मिलने की खुशी से ज्यादा न्याय में हुई देरी की पीड़ा को उजागर करता है। एक होटल कर्मचारी, जिसे तीन दशक से भी अधिक समय पहले नौकरी से निकाला गया था, उसके पक्ष में शीर्ष अदालत ने 50 फीसदी बकाया वेतन के भुगतान का आदेश दिया। लेकिन यह फैसला उस व्यक्ति की आंखों के सामने नहीं आ सका, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा अदालतों के चक्कर काटते हुए गुजार दिया। फैसला आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिससे यह मामला "न्याय में देर भी, अंधेर भी" की कड़वी मिसाल बन गया है।

यह मामला केवल एक कर्मचारी और उसके वेतन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों श्रमिकों की कहानी कहता है, जो वर्षों तक अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं और कभी-कभी न्याय मिलने से पहले ही जीवन की लड़ाई हार जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण में यह स्वीकार किया कि लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया ने कर्मचारी के जीवन पर गहरा असर डाला और उसकी आजीविका, सम्मान और भविष्य तीनों को अनिश्चितता में झोंक दिया।

शीर्ष अदालत में यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश के खिलाफ पहुंचा था, जिसमें कर्मचारी को दिए जाने वाले 50 फीसदी बकाया वेतन को रद्द कर दिया गया था। इस याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने विस्तार से सुनवाई की। पीठ ने अपने फैसले में न केवल हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश को रद्द किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि बकाया वेतन को लेकर कोई कठोर या अटल नियम लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मामला अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को दी गई सजा अपने आप में एक सामाजिक और पेशेवर कलंक लेकर आती है। नौकरी से निकाले जाने का दाग व्यक्ति के भविष्य पर लंबे समय तक असर डालता है और उसे दोबारा स्थायी रोजगार मिलने में गंभीर बाधा बनता है। ऐसे हालात में यदि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने परिस्थितियों को देखते हुए बकाया वेतन को 50 फीसदी तक सीमित किया था, तो उसमें हस्तक्षेप की कोई ठोस वजह नहीं थी। अदालत ने यह भी माना कि लंबे समय तक चले मुकदमे के दौरान कर्मचारी की उम्र बढ़ती चली गई और उसके लिए किसी स्थायी और सम्मानजनक रोजगार की संभावना लगभग खत्म हो गई थी।

इस पूरे विवाद की जड़ वर्ष 1978 में है, जब दिनेश चंद्र शर्मा ने एक होटल में रूम अटेंडेंट के रूप में नौकरी शुरू की थी। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शर्मा के लिए यह नौकरी ही जीवन का सहारा थी। वर्षों तक सेवा देने के बाद जुलाई 1991 में उन पर कथित अनुचित आचरण का आरोप लगाकर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। शर्मा ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण मानते हुए कानूनी लड़ाई शुरू की। मामला लेबर कोर्ट पहुंचा, जहां लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने होटल प्रबंधन की आंतरिक जांच को त्रुटिपूर्ण पाया। अदालत का मानना था कि प्रबंधन आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

लेबर कोर्ट ने दिसंबर 2015 में फैसला सुनाते हुए शर्मा को पुनर्नियुक्त करने और पूरा बकाया वेतन देने का आदेश दिया। लेकिन होटल प्रबंधन इस फैसले से संतुष्ट नहीं था और मामला राजस्थान उच्च न्यायालय पहुंच गया। वहां एकल पीठ ने लेबर कोर्ट के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए बकाया वेतन को 50 फीसदी तक सीमित कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रबंधन ने हाईकोर्ट की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया, जहां यह कहते हुए 50 फीसदी बकाया वेतन भी रद्द कर दिया गया कि कर्मचारी यह साबित नहीं कर सका कि वह इस अवधि में किसी लाभकारी रोजगार में नहीं था।

यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि लाभकारी रोजगार न होने को साबित करना एक अनिवार्य और अटूट शर्त है। अदालत ने कहा कि यह कोई कठोर नियम नहीं है और हर मामले को उसके अपने तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए। पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि कर्मचारी द्वारा दायर हलफनामे का प्रबंधन की ओर से कोई प्रभावी प्रतिवाद नहीं किया गया। इसके अलावा, यह भी माना गया कि जीवनयापन के लिए किया गया कोई अस्थायी या छोटा-मोटा काम इस आधार पर बकाया वेतन से वंचित करने का कारण नहीं बन सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि लंबी सेवा और बढ़ती उम्र के कारण कर्मचारी के लिए नया स्थायी रोजगार पाना बेहद कठिन था। नौकरी से निकाले जाने का कलंक और वर्षों तक चला मुकदमा उसके जीवन पर भारी पड़ता रहा। ऐसे में यह मान लेना कि वह किसी लाभकारी रोजगार में था, न्यायसंगत नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप यह जरूरी है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी की वास्तविक स्थिति और संघर्ष को समझा जाए।

हालांकि इस फैसले से कानूनी रूप से कर्मचारी के परिवार को राहत जरूर मिली है, लेकिन मानवीय दृष्टि से यह राहत अधूरी ही कही जाएगी। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 34 साल अदालतों के चक्कर काटते हुए गुजारे, वह अपने हक का फैसला सुनने के लिए जीवित नहीं रहा। यह सच्चाई न्याय प्रणाली पर एक गंभीर सवाल छोड़ जाती है कि क्या इतनी लंबी प्रक्रिया वास्तव में न्याय कहलाने योग्य है। यह मामला सिर्फ एक होटल कर्मचारी की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन असंख्य श्रमिकों का प्रतीक है, जिनके जीवन का कीमती समय मुकदमों की फाइलों में दबकर रह जाता है।

जमीनी रंजिश ने ली किसान की जान, फिरोजाबाद में घात लगाकर हमला, बचाने आए परिजनों पर भी बरसी गोलियां

(जीएनएस)। फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में भूमि विवाद एक बार फिर खून-खराबे में तब्दील हो गया। थाना नसीरपुर क्षेत्र के मढ़ैया नंदराम गांव में सोमवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब खेत से घर लौट रहे एक किसान को घात लगाकर बैठे हमलावरों ने गोली मार दी। गोली लगने से किसान की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई और अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। इस दौरान उसे बचाने के लिए दौड़े उसके बेटे, पत्नी और भाई पर भी हमलावरों ने फायरिंग और मारपीट की, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। मृतक किसान की पहचान सत्यभान (45) पुत्र मातादीन के रूप में हुई है, जो मढ़ैया नंदराम गांव का निवासी था। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार सत्यभान का गांव के ही एक व्यक्ति सूरतराम से करीब पांच बीघा जमीन को लेकर लंबे

समय से विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर दोनों पक्षों में पहले भी कई बार कहासुनी और तनाव की स्थिति बन चुकी थी। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते सोमवार की रात सत्यभान को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई।

बताया गया कि सोमवार रात सत्यभान खेत से अपने घर की ओर लौट रहा था। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उसे घेर लिया और अचानक फायरिंग कर दी। गोली लगते ही सत्यभान जमीन पर गिर पड़ा और चीख-पुकार मच गई। आसपास का इलाका गोलियों की आवाज से दहल उठा। हमलावरों की मंशा यहीं नहीं रुकी, बल्कि जब सत्यभान की पत्नी राधा, उसका बेटा और भाई उसे बचाने के लिए दौड़े, तो आरोप है कि हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग के साथ-साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिससे तीनों घायल हो गए।

शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, तब तक हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। गांव वालों की मदद से गंभीर रूप से घायल सत्यभान और उसके परिजनों को तुरंत शिकोहाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने सत्यभान को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी पत्नी, बेटा और भाई का उपचार शुरू किया गया। परिजनों की हालत देखकर अस्पताल परिसर में भी गम और आक्रोश का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना नसीरपुर पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला भूमि विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं।

घटना के बाद गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह या हिंसा को फैलने नहीं दिया जाएगा।

गहरी खाई में समा गई चलती बस, अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसे ने छीनी सात जिंदगियां

(जीएनएस)। अल्मोड़ा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को अल्मोड़ा जनपद के भिकियासैंण क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया। द्वाराहाट से रामनगर जा रही एक निजी बस सिलापानी के पास अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण दुर्घटना में सात यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनभर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और कुछ ही पलों में खुशहाल सफर मातम में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस सामान्य रफ्तार में चल रही थी, लेकिन पहाड़ी मोड़ के पास अचानक संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते बस सड़क से फिसलकर गहरी खाई में समा गई। खाई में गिरते ही बस के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री सीटों से उछलकर एक-दूसरे पर जा गिरे। हादसे की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके की ओर दौड़े और बचाव कार्य में जुट गए। पहाड़ी इलाका होने के कारण राहत कार्य में शुरुआती समय में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं। खाई में उतरकर घायलों और मृतकों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया गया। संकरे रास्ते, गहरी खाई और टूटे वाहन के बीच फंसे यात्रियों को निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। घंटों की मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकाला गया और एंबुलेंस के जरिए भिकियासैंण के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दो गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए रामनगर रेफर किया गया।

एसएसपी देवेन्द्र पींचा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। प्रारंभिक जांच में बस के अनियंत्रित होने की बात सामने आई है, हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं तकनीकी खराबी, तेज रफ्तार या सड़क की खराब स्थिति हादसे की वजह तो नहीं बनी। इस दर्दनाक दुर्घटना में जान गंवाने वालों में चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। मृतकों की पहचान जमोली निवासी गोविन्द बल्लभ (80) और उनकी पत्नी पार्वती देवी (75), सूबेदार नन्दन सिंह अधिकारी (65), बाली निवासी तारा देवी (50), गणेश (25), उमेश (25) और घुघुती द्वाराहाट निवासी गोविन्दी देवी (58) के रूप में हुई है। एक ही परिवार के बुजुर्ग दंपती की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। गांवों में शोक की लहर है और हर आंख नम है।

हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल में परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी। अपनों को खोजते लोग रोते-बिलखते नजर आए। अस्पताल परिसर में मातम का माहौल था। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा। डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों के इलाज में जुटी हुई है।

जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और यदि आवश्यकता हो तो गंभीर घायलों को एअरलिफ्ट कर ऋषिकेश स्थित एम्स भेजा जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार प्रशासन से संपर्क में है और राहत कार्यों की निगरानी की जा रही है।

शाही जामा मस्जिद के समीप कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जों का बड़ा खुलासा, प्रशासन की पैमाइश में 20 मकान और दुकानें चिन्हित

(जीएनएस)। संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद में शाही जामा मस्जिद के आसपास स्थित कब्रिस्तान की भूमि को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों के बीच जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई राजस्व पैमाइश में कब्रिस्तान की जमीन पर 20 से अधिक मकान और दुकानें बने होने की पुष्टि हुई है। यह निर्माण पूरी तरह से अवैध पाए गए हैं और अभिलेखों में दर्ज कब्रिस्तान की भूमि पर ही किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है, वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में और पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है।

दरअसल, शाही जामा मस्जिद के समीप स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें लगातार जिला प्रशासन तक पहुंच रही थीं। स्थानीय लोगों और विभिन्न माध्यमों से यह आरोप लगाए जा रहे थे कि कब्रिस्तान की जमीन पर धीरे-धीरे निर्माण कर उसे निजी संपत्ति में बदला जा रहा है। शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में एक विशेष राजस्व टीम गठित की गई, जिसमें नायब तहसीलदार, कानूनगो और 22 लेखपालों को शामिल किया गया। किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पुलिस बल की भी व्यापक तैनाती की गई थी।

निर्धारित तिथि को टीम शाही जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान स्थल पर पहुंची और सरकारी

अभिलेखों के आधार पर सीमांकन और पैमाइश की प्रक्रिया शुरू की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह, तनाव या अप्रिय घटना की संभावना न रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को यह भरोसा दिलाया कि जांच का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि सरकारी भूमि की वास्तविक स्थिति सामने लाना और कानून का पालन सुनिश्चित करना है।

पैमाइश के दौरान सामने आया कि कब्रिस्तान की भूमि पर कुल 22 लोगों द्वारा मकान और दुकानें निर्मित की गई हैं। इनमें से कुछ निर्माण पुराने बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ अपेक्षाकृत नए हैं। अभिलेखों के मिलान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि ये सभी निर्माण कब्रिस्तान के रूप में दर्ज भूमि के भीतर ही आते हैं और इनके लिए किसी प्रकार की वैध अनुमति या स्वीकृति नहीं ली गई है। इस निष्कर्ष के बाद प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी संभल डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अवैध कब्जे की स्थिति स्पष्ट रूप से सामने आई है। प्रशासन की ओर से सभी संबंधित व्यक्तियों को नियमानुसार नोटिस जारी किए जाएंगे और उनसे अपने स्वामित्व या निर्माण से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। दस्तावेजों की गहन जांच और संबंधित पक्षों को सुनने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभिलेखों में कोई वैधता सिद्ध नहीं होती है, तो कानून के तहत अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आमजन से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि, विशेषकर कब्रिस्तान जैसी संवेदनशील संपत्ति पर अवैध कब्जा न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस मामले में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या उकसावे से बचते हुए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वर्षों से चली आ रही अनदेखी के कारण कब्रिस्तान की जमीन पर धीरे-धीरे निर्माण होते चले गए, जबकि अब प्रशासन ने सख्ती दिखाकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वहीं, कुछ लोग इसे भविष्य में बड़े स्तर पर होने वाली कार्रवाई का संकेत मान रहे हैं। प्रशासन का रुख साफ है कि चाहे मामला कितना भी पुराना क्यों न हो, यदि वह सरकारी रिकॉर्ड के खिलाफ पाया गया तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी।

कुल मिलाकर, शाही जामा मस्जिद के समीप कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जों का यह मामला संभल जनपद में प्रशासनिक सख्ती का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नोटिस और दस्तावेजों की जांच के बाद प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। यह कार्रवाई न केवल इस क्षेत्र की भूमि स्थिति को स्पष्ट करेगी, बल्कि भविष्य में सरकारी और धार्मिक स्थलों की जमीन पर होने वाले अतिक्रमण के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी देगी।

दलालों की साजिश में फंसा युवक, शादी के आठ माह बाद जेवर-नगदी समेट फरार हुई लुटेरी दुल्हन

(जीएनएस)। महोबा। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में दलालों के जरिये कराई गई शादी एक युवक के लिए, जिंदगी की सबसे बड़ी ठगी साबित हुई। शादी के महज आठ माह बाद ही पत्नी लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर और नगदी समेटकर फरार हो गई। खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे पीड़ित पति ने अब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है और लुटेरी दुल्हन के साथ इस पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है और लोग एक बार फिर ऐसे फर्जी विवाह रैकेट को लेकर चिंता जता रहे हैं।

चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गांव अस्थौन निवासी 35 वर्षीय रघुराज ने बताया कि वह अविवाहित था और परिवार के लोग उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते थे। इसी दौरान गांव के ही चरण सिंह और कनेरा निवासी शेखर ने उससे संपर्क किया और मध्य प्रदेश की एक युवती से शादी कराने का भरोसा दिलाया। दलालों ने कहा कि लड़की गरीब परिवार से है और शादी के लिए ज्यादा औपचारिकताएं नहीं होंगी। जल्द शादी की चाह और दलालों के भरोसे में आकर रघुराज ने उन्हें 50 हजार रुपये दे दिए। पीड़ित के अनुसार, अप्रैल माह में उसे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले ले जाया गया, जहां खेतों में अस्थायी पंडाल लगाकर बेहद आनन-फानन में शादी करवा दी गई। न तो ढंग से रिश्तेदार बुलाए गए और न ही विवाह की कोई ठोस कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। शादी के बाद युवती, जिसका नाम निशा बताया गया, को रघुराज अपने गांव ले आया। शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा और रघुराज को लगा कि उसकी गृहस्थी ठीक से बस गई है।

कुछ समय बीतने के बाद ही स्थिति बदलने लगी। रघुराज का आरोप है कि शादी कराने वाले बिचौलियों का उसके घर बार-बार आना-जाना शुरू हो गया। वह जब इसका विरोध करता तो उसे तरह-तरह की धमकियां दी जातीं। इसी बीच पत्नी का व्यवहार भी बदलाव दिखाने लगी और मायके जाने की जिद करने लगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए रघुराज कुछ समय के लिए पत्नी को उसके मायके नरसिंहपुर छोड़ आया। कुछ दिनों बाद जब वह पत्नी को वापस लाने नरसिंहपुर पहुंचा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर में पत्नी का मायका बताया गया था, वहां ताला लटका मिला और आसपास के लोगों ने बताया कि वह परिवार अचानक कहीं चला गया है। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो रघुराज निराश होकर अपने गांव लौट आया। घर पहुंचने पर एक और बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। रघुराज ने बताया कि घर में रखे सोने-चांदी के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान गायब थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह एक सुनियोजित साजिश का शिकार हो चुका है। उसके अनुसार, पत्नी योजनाबद्ध तरीके से जेवर और नगदी समेटकर फरार हुई है और इसमें शादी कराने वाले दलालों की भी पूरी भूमिका है। पीड़ित का कहना है कि उसकी सारी कमाई और जमा पूंजी इस ठगी में चली गई और अब उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। खुद को ठगा हुआ मानते हुए रघुराज ने महोबा पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह से मुलाकात कर पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। उसने मांग की है कि लुटेरी दुल्हन, दलालों और इस पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा न हो। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और कहा है कि तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

यह मामला केवल एक व्यक्ति की निजी पीड़ा नहीं, बल्कि समाज के सामने एक बड़ी चेतावनी भी है। दलालों के जरिये कराई जाने वाली शादियों में किस तरह भावनाओं और मजबूरी का फायदा उठाकर ठगी की जाती है, यह घटना उसी का उदाहरण है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते ऐसे मामलों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बिना पूरी जांच-पड़ताल और कानूनी प्रक्रिया के विवाह करना कितना जोखिम भरा हो सकता है। अब पीड़ित को उम्मीद है कि पुलिस की कार्रवाई से उसे न्याय मिलेगा और इस तरह के गिरोहों पर लगाम लगेगी।

मीरजापुर में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का बड़ा खुलासा, 20 लाख की खेप के साथ चार तस्कर दबोचे गए

(जीएनएस)। मीरजापुर। जनपद मीरजापुर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिगना थाना पुलिस ने सुनियोजित कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने करीब 20 लाख रुपये मूल्य के गांजे के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो और टैंपो वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में सक्रिय नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिगना थाना पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर मीरजापुर और आसपास के जिलों में खपाने वाला एक गिरोह सक्रिय है। इसी क्रम में पुलिस को मुखबिर के माध्यम से पुख्ता सूचना मिली कि भारी मात्रा में गांजा लेकर कुछ लोग बोलेरो और टैंपो से जिगना क्षेत्र की ओर आ रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस ने तत्काल टीम गठित की और जिगना-बारी कोट चौराहे के पास घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू की। घेराबंदी के दौरान जैसे ही संदिग्ध बोलेरो

और टैंपो वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को वाहनों से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। जब गांजे को तौलवाया गया तो उसका कुल वजन लगभग 50 किलो 780 ग्राम निकला। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपये आंकी गई है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए चारों आरोपियों से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर मीरजापुर में सप्लाई करते थे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और मीरजापुर के अलावा आसपास के जिलों में भी गांजे की आपूर्ति करता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं तथा गांजा किन-किन इलाकों में सप्लाई किया जाना था।

जिगना थाना पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बरामद गांजा, बोलेरो और टैंपो को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी सूरत में ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की सराहना की है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, ऐसे में पुलिस की इस तरह की सख्त कार्रवाई समाज के लिए बेहद जरूरी है। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें नशा तस्करों या किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

घने कोहरे की चादर में लिपटा जौनपुर, दृश्यता 10 मीटर पर सिमटी, ठंड ने थाम ली रफ्तार

(जीएनएस)। जौनपुर। जौनपुर जनपद में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह जकड़ लिया है। सोमवार और मंगलवार की सुबह जिले पर कोहरे की ऐसी घनी चादर छाई रही कि दृश्यता घटकर मात्र 10 मीटर तक सिमट गई। हालात इतने खराब हो गए कि सड़कों पर चल रहे वाहन रेंगते नजर आए और कई जगहों पर लोग रास्ता तक पहचान नहीं पा रहे थे। कोहरे और ठंड के दोहरे प्रकोप ने आम लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने कक्षा एक से लेकर इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यालयों को 30 दिसंबर तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। सुबह होते ही पूरा शहर कोहरे में डूबा नजर आया। मुख्य मार्ग, गलियां और हाईवे सब कुछ धुंध में लिपटा रहा। वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर चलना पड़ा, बावजूद इसके कई जगह जाम और फिसलन जैसी स्थितियां बनी रहीं। रेलवे ट्रैक के आसपास भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे ट्रेनों की रफ्तार पर असर पड़ा और कई ट्रेनें देरी से संचालित हुईं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। रात के समय ठंड और कोहरे का असर और भी ज्यादा दिखाई दिया, जिससे सड़कों पर सन्नाटा पसर गया।

मंगलवार को पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। आसमान में घने बादल और धुंध छाई रही, वहीं सर्द हवाओं ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया। जिले का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। सुबह और शाम के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। चौक-चौराहों और ग्रामीण इलाकों में लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश करते नजर आए।

ठंड और कोहरे का असर किसानों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खेतों में कामकाज प्रभावित हो गया है। घने कोहरे के कारण फसलों में नमी बढ़ गई है, जिससे सरसों और आलू जैसी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पशुपालकों को भी खास दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पशु-पक्षी भी ठिठुरते नजर आए और कई जगह लोग उन्हें बचाने के लिए बोरे और तिरपाल का सहारा लेते दिखे।

शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा से अभिभावकों और छात्रों को राहत मिली है। जिला प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि सुबह के समय घना कोहरा और अत्यधिक ठंड बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश लागू होने से प्राथमिक स्तर के बच्चों को भी ठंड से राहत मिलेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौसम की स्थिति के अनुसार आगे भी निर्णय लिया जा सकता है।

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार, तापमान में और गिरावट हो सकती है और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। आर्द्रता का स्तर 76 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जिससे ठंड का असर और ज्यादा महसूस हो रहा है। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 तक पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और ठंड से बचाव के सभी उपाय अपनाएं। गर्म कपड़े पहनने, अलाव या हीटर का सुरक्षित उपयोग करने और खुले में देर तक न रहने की सलाह दी गई है। जिला अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि ठंड से जुड़ी बीमारियों के मामलों में तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जा सके। कुल मिलाकर जौनपुर इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की गिरफ्त में है। जनजीवन की रफ्तार थम सी गई है और लोग मौसम के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यदि ठंड और बढ़ती है, तो प्रशासन के सामने भी नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल जौनपुरवासी सावधानी और धैर्य के साथ इस कठिन मौसम का सामना कर रहे हैं।

साउथ एशियन बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता प्रज्ञा भारती का भव्य सम्मान, बिहपुर में खुशी की लहर

(जीएनएस)। भागलपुर। साउथ एशियन बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन कर चैंपियन बनकर लौटी भारतीय टीम की खिलाड़ी प्रज्ञा भारती का मंगलवार को बिहपुर प्रखंड मुख्यालय में भव्य सम्मान किया गया। इस मौके पर पूरे क्षेत्र में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। नवगछिया अनुमंडल के मक्खातकिया गांव की रहने वाली प्रज्ञा भारती की इस ऐतिहासिक उपलब्धि को न केवल बिहपुर और नवगछिया बल्कि पूरे भागलपुर जिले और बिहार राज्य के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया गया।

सम्मान समारोह में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने प्रज्ञा भारती को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। राज्य प्रवक्ता सह नवगछिया बाल बैडमिंटन संघ के जिला सचिव ज्ञानदेव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रज्ञा भारती पटना में 27 से 29 दिसंबर तक आयोजित साउथ एशियन बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम की सदस्य थीं। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया और पूरे देश को गौरवान्वित किया।

प्रज्ञा भारती की इस सफलता पर बिहपुर प्रखंड प्रमुख रीमा देवी के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्यनारायण पंडित, उपप्रमुख एनामुल, मुखिया उमेश यादव, सलाहुद्दीन, गुलजार खां, पंचायत समिति सदस्य अमन आनंद, दारोगा प्रसाद सिंह, दिनेश ऋषिदेव, ललन मंडल, जावेद खां, मंजु देवी सहित कई गणमान्य लोगों ने प्रज्ञा को सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया।

प्रमुख रीमा देवी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रज्ञा भारती की यह उपलब्धि यह साबित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियां भी यदि सही मार्गदर्शन और अवसर पाएं तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहरा सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा की मेहनत, अनुशासन और लगन आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। बीडीओ सत्यनारायण पंडित ने भी प्रज्ञा की सराहना करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में इस तरह की उपलब्धियां न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि पूरे समाज का मनोबल बढ़ाती हैं और युवाओं को सकारात्मक दिशा देती हैं।

सम्मान समारोह के दौरान मौजूद अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी प्रज्ञा भारती की उपलब्धि को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सफलता केवल एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में प्रज्ञा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगी। समारोह में मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ प्रज्ञा का स्वागत किया और उनके संघर्ष व मेहनत को सलाम किया।

इस अवसर पर अभिलाषा कुमारी, मौसम कुमारी, बुलबुल कुमारी, शीतल कुमारी, मनीषा कुमारी सहित कई छात्राएं और स्थानीय महिलाएं भी उपस्थित रहीं। सभी ने प्रज्ञा को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता से क्षेत्र की बेटियों में खेल के प्रति रुचि और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यक्रम का माहौल उत्सव जैसा रहा और लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की।

प्रज्ञा भारती ने सम्मान समारोह में उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें आगे और बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देगा। उन्होंने कहा कि उनकी इस सफलता के पीछे परिवार, कोच और संघ का बड़ा योगदान है, जिन्होंने हर कदम पर उनका मार्गदर्शन किया। प्रज्ञा ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य भविष्य में भारत के लिए और अधिक अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतना है।

साउथ एशियन बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम की जीत और उसमें प्रज्ञा भारती की भूमिका ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की बेटियां भी खेल के हर मैदान में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। बिहपुर में हुआ यह सम्मान समारोह न सिर्फ एक खिलाड़ी के सम्मान का अवसर बना, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा और गर्व का प्रतीक भी बन गया।

नववर्ष पर रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, उत्तर मध्य रेलवे की नई कार्य संचालन समय सारणी लागू, समयपालन और संरक्षा पर विशेष जोर

(जीएनएस)। प्रयागराज। नववर्ष के आगमन के साथ ही रेल यात्रियों के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए नई अद्यतन कार्य संचालन समय सारणी जारी कर दी है, जो एक जनवरी से प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में प्रभावी होगी। इस नई समय सारणी का उद्देश्य न केवल ट्रेनों के परिचालन को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है, बल्कि यात्रियों की सुविधा, समयपालन और भविष्य की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने प्रयागराज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस नई समय सारणी का औपचारिक विमोचन किया। रेल प्रशासन का मानना है कि समय सारणी किसी भी रेलवे जोन के परिचालन का आधार होती है और इसमें किया गया हर परिवर्तन सीधे यात्रियों के अनुभव से जुड़ा होता है। इसी सोच के साथ नई कार्य संचालन समय सारणी को तैयार किया गया है। वरिष्ठ मंडलीय और जोनल अधिकारियों की सहभागिता में पिछले एक वर्ष के परिचालन आंकड़ों, यात्रियों की प्रतिक्रिया, भीड़ के रुझान और मालगाड़ियों की आवाजाही के अनुभवों का गहन विश्लेषण किया गया। इसके बाद एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया गया, जो केवल ट्रेनों के समय का संकलन नहीं बल्कि सुरक्षित और विश्वसनीय रेल सेवा की दिशा में एक ठोस कदम है।

उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि यह नई कार्य संचालन समय सारणी यात्रियों की वास्तविक मांग और हालिया परिचालन अनुभवों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि रेलवे का उद्देश्य केवल नई ट्रेनें चलाना नहीं, बल्कि मौजूदा संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए समयपालन में सुधार और संरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखना है। इसी कारण कई ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक बदलाव किए गए हैं, जिससे परिचालन में अनावश्यक विलंब को रोका जा सके।

नई समय सारणी के तहत प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडलों में 20 जोड़ी नई ट्रेनों को शामिल किया गया है। इनमें वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक और प्रीमियम सेवाएं भी शामिल हैं, जो तेज गति, बेहतर सुविधाओं और आरामदायक यात्रा के लिए जानी जाती हैं। इन ट्रेनों के शामिल होने से न केवल प्रमुख शहरों के बीच संपर्क मजबूत होगा, बल्कि यात्रियों को आधुनिक रेल यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन सेवाओं की शुरुआत से खासकर व्यापारिक यात्रियों, विद्यार्थियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी।

इसके अलावा यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 11 जोड़ी ट्रेनों के मार्गों का विस्तार किया गया है। इससे उन क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जो अब तक सीधे रेल नेटवर्क से पर्याप्त रूप से नहीं जुड़े थे। एक जोड़ी ट्रेन की आवृत्ति भी बढ़ाई गई है, ताकि भीड़भाड़ वाले रूट पर यात्रियों को सीट उपलब्धता में सुविधा हो सके। रेल प्रशासन का मानना है कि इन बदलावों से प्रतीक्षा सूची में भी कमी आएगी।

परिचालन को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए 30 ट्रेनों के नंबरों में बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार यह कदम ट्रेनों की श्रेणी और उनके परिचालन स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए उठाया गया है, ताकि यात्रियों और कर्मचारियों दोनों को पहचान में आसानी हो। साथ ही कई ट्रेनों के समय में भी संशोधन किया गया है, जिससे ओवरक्राउडिंग, प्लेटफॉर्म पर ठहराव और लाइन क्षमता से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सके।

नई समय सारणी में यात्रा समय कम करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत 7 ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है, जिससे यात्रियों का कुल यात्रा समय घटेगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक सुधार, सिग्नल प्रणाली के आधुनिकीकरण और बेहतर परिचालन प्रबंधन के कारण यह संभव हो सका है। इसके साथ ही 9 जोड़ी ट्रेनों को पुराने आईसीएफ कोचों से हटाकर आधुनिक एलएचबी रेक में परिवर्तित किया गया है, जो अधिक सुरक्षित, आरामदायक और तेज गति के लिए अनुकूल माने जाते हैं।

ग्रामीण और छोटे कस्बों को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में भी नई समय सारणी में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। 24 प्रयोगात्मक ठहराव दिए गए हैं, जिससे उन क्षेत्रों के यात्रियों को सीधी रेल सुविधा मिलेगी, जहां अब तक ट्रेनों का ठहराव नहीं था या सीमित था। रेलवे का मानना है कि इन ठहरावों से स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा।

आगामी तीर्थ और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए 9 जोड़ी विशेष ट्रेनों को भी समय सारणी में शामिल किया गया है। प्रयागराज, आगरा और आसपास के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि विशेष ट्रेनों के संचालन से मौसमी भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और नियमित ट्रेनों पर दबाव भी कम होगा।

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि नई समय सारणी लागू होने के बाद कई ट्रेनों के समय में 5 से 20 मिनट तक का अंतर हो सकता है। इसलिए यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का अपडेटेड समय एनटीईएस ऐप या 139 हेल्पलाइन के माध्यम से अवश्य जांच लें। इससे अनावश्यक असुविधा से बचा जा सकेगा।

उत्तर मध्य रेलवे की यह नई कार्य संचालन समय सारणी आने वाले समय में रेल सेवाओं को अधिक विश्वसनीय और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी यात्रियों की प्रतिक्रिया और परिचालन अनुभवों के आधार पर समय-समय पर सुधार किए जाते रहेंगे, ताकि रेलवे देश की परिवहन जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके।

कोडीन कफ सिरप तस्करी में पुलिस का शिकंजा कसा, फरार चार अभियुक्तों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

(जीएनएस)। सोनभद्र। जनपद सोनभद्र में कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। लंबे समय से गिरफ्त से बाहर चल रहे चार वांछित अभियुक्तों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनाम की घोषणा के बाद तस्करी से जुड़े नेटवर्क में खलबली मच गई है और आरोपियों के ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

पुलिस के अनुसार, यह मामला कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर अवैध तस्करी से जुड़ा है, जिसे नशीले पदार्थ के रूप में खपाया जा रहा था। इस गंभीर प्रकरण की जांच विशेष जांच टीम यानी एसआईटी को सौंपी गई है, जो पूरे नेटवर्क की परत-दर-परत जांच कर रही है। जांच के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन मुख्य चार आरोपी लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर बने हुए हैं। इन्हीं फरार अभियुक्तों में शुभम जायसवाल, विशाल उपाध्याय, निशांत उर्फ रवि गुप्ता और विजय गुप्ता के नाम सामने आए हैं।

पुलिस सूत्रों का कहना है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब तक कई बार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन हर बार वे पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। पुलिस को आशंका है कि आरोपी अपने नेटवर्क और संपर्कों का इस्तेमाल कर लगातार ठिकाने बदल रहे हैं। इसी को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने इनकी गिरफ्तारी को प्राथमिकता में रखते हुए इनाम घोषित करने का निर्णय लिया है, ताकि आम जनता की मदद से भी इन तक पहुंच बनाई जा सके।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि यह युवाओं और समाज के लिए भी बेहद घातक है। इस तरह के नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ किसी भी सूरत में नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि इन फरार आरोपियों की सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और सही सूचना मिलने पर घोषित इनाम की राशि प्रदान की जाएगी। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि तस्करी का यह नेटवर्क जिले के अलावा आसपास के क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कोडीन युक्त कफ सिरप को अवैध तरीके से एकत्र कर विभिन्न मार्गों से सप्लाई किया जाता था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इनाम घोषित होने के बाद पुलिस ने सीमावर्ती जिलों और संभावित ठिकानों पर निगरानी और बढ़ा दी है।

पुलिस का कहना है कि आम नागरिकों के सहयोग से ही इस तरह के संगठित अपराध पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। यदि किसी को भी इन फरार आरोपियों के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो वह नजदीकी पुलिस थाने या सीधे पुलिस अधिकारियों को सूचित कर सकता है। प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है।

कफ सिरप तस्करी जैसे मामलों पर लगातार कार्रवाई कर सोनभद्र पुलिस यह संदेश देना चाहती है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए जिले में कोई जगह नहीं है। इनाम की घोषणा को पुलिस की इसी सख्त नीति के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे फरार आरोपियों पर दबाव बढ़ेगा और जल्द ही उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जा सकेगा।

तेजड़ियों-मंदड़ियों की रस्साकशी में फिसला शेयर बाजार, उतार-चढ़ाव भरे सत्र में निवेशकों को 22 हजार करोड़ का झटका

(जीएनएस)। नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में आज का कारोबारी सत्र पूरे दिन असमंजस और उतार-चढ़ाव के माहौल में बीता। शुरुआती कारोबार में कमजोरी के संकेत मिलने के बावजूद बीच-बीच में आई खरीदारी ने बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन अंततः तेजड़ियों और मंदड़ियों की खींचतान में बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 20.46 अंक की हल्की गिरावट के साथ 84,675.08 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 3.25 अंक फिसलकर 25,938.85 पर आ गया। भले ही अंक के लिहाज से गिरावट सीमित रही, लेकिन बाजार पूंजीकरण में आई कमी के चलते निवेशकों की संपत्ति में करीब 22 हजार करोड़ रुपये की सेंध लग गई। सुबह बाजार खुलते ही वैश्विक संकेतों और चुनिंदा सेक्टरों में बिकवाली के दबाव का असर दिखाई दिया। शुरुआती सत्र में आईटी, रियल्टी और डिफेंस शेयरों में कमजोरी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में फिसल गए। हालांकि इसके बाद बैंकिंग और ऑटो शेयरों में आई खरीदारी से बाजार ने कुछ हद तक रिकवरी दिखाई। दिन के मध्य सत्र में कई बार ऐसा लगा कि बाजार हरे निशान में लौट सकता है, लेकिन हर उछाल पर मुनाफावसूली हावी हो गई और सूचकांक सीमित दायरे में घूमते रहे। ारोबार के दौरान सेक्टोरल स्तर पर मिश्रित रुख देखने को मिला। रियल्टी, डिफेंस और आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव बना रहा। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी, हेल्थकेयर और ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में भी निवेशकों ने सतर्कता बरती, जिससे इन क्षेत्रों के सूचकांक कमजोर रहे। दूसरी ओर बैंकिंग शेयरों में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाजार को बड़ी गिरावट से बचाए रखा। ऑटो और मेटल सेक्टर के शेयरों में भी सकारात्मक रुख रहा और इन शेयरों ने बाजार को सहारा दिया।

बाजार की इस सुस्त चाल का सीधा असर निवेशकों की संपत्ति पर पड़ा। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर 471.93 लाख करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह आंकड़ा इससे अधिक था। इस गिरावट के चलते निवेशकों को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह

नुकसान भले ही बहुत बड़े स्तर की गिरावट को नहीं दर्शाता, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि बाजार में फिलहाल सतर्कता का माहौल बना हुआ है और निवेशक बड़े दांव लगाने से बच रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो वहां भी दबाव का माहौल देखने को मिला। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.05 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। इसका मतलब यह रहा कि केवल बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि मझोले और छोटे शेयरों में भी बिकवाली का दबाव बना रहा। कारोबार के दौरान बीएसई में गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वाले शेयरों से अधिक रही, जिससे बाजार की चौड़ाई कमजोर दिखाई दी। यह स्थिति आम तौर पर निवेशकों की सतर्कता और जोखिम लेने की घटती इच्छा को दर्शाती है। दिग्गज शेयरों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो कुछ चुनिंदा शेयरों ने मजबूती दिखाई। श्रीराम फाइनेंस, हिंडाल्को, बजाज ऑटो, टाटा स्टील और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिली और ये लाभ के साथ बंद हुए। खासतौर पर मेटल शेयरों में वैश्विक संकेतों और मांग को लेकर उम्मीदों के चलते हल्की मजबूती रही। ऑटो शेयरों में भी आगामी बिक्री आंकड़ों और मांग में स्थिरता की उम्मीदों के चलते निवेशकों ने रुचि दिखाई। इसके विपरीत आईटी और हेल्थकेयर शेयरों में दबाव साफ नजर आया। मैक्स हेल्थकेयर, एटरनल, इंफोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। आईटी शेयरों पर वैश्विक बाजारों से मिले मिले-जुले संकेतों और डॉलर की चाल का असर देखा गया, जबकि हेल्थकेयर शेयरों में हालिया तेजी के बाद मुनाफावसूली हावी रही। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा समय में निवेशक कई कारकों को लेकर सतर्क हैं। वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेशकों की रणनीति जैसे कारक बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा घरेलू स्तर पर कंपनियों के तिमाही नतीजों और आगामी आर्थिक आंकड़ों को लेकर भी निवेशक इंतजार की मुद्रा में हैं, जिससे बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, बाजार में फिलहाल कोई बड़ा नकारात्मक संकेत नहीं है, लेकिन तेजी के लिए भी मजबूत ट्रिगर की कमी महसूस की जा रही है। यही कारण है कि हर उछाल पर मुनाफावसूली देखने को मिल रही है और बाजार सीमित दायरे में फंसा हुआ है। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में वैश्विक संकेतों और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बाजार की दिशा साफ हो सकती है।

कुल मिलाकर, आज का कारोबारी सत्र निवेशकों के लिए सतर्कता का संदेश लेकर आया। मामूली गिरावट के बावजूद बाजार पूंजीकरण में आई कमी ने यह दिखा दिया कि छोटे उतार-चढ़ाव भी निवेशकों की संपत्ति पर बड़ा असर डाल सकते हैं। ऐसे में विशेषज्ञ लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने के बजाय मजबूत बुनियादी आधार वाली कंपनियों पर ध्यान देने और बाजार की चाल को समझदारी से परखने की सलाह दे रहे हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI

उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए बड़ा अपडेट, 6 जनवरी को जारी होगी वोटर लिस्ट का मसौदा और 6 मार्च को प्रकाशित होगी अंतिम सूची

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर सामने आई है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह पूरा अभ्यास 1 जनवरी 2026 को पात्रता तिथि मानकर किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के ताजा कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का मसौदा 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को जारी की जाएगी। यह प्रक्रिया आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी के आधार पर यह तय होगा कि कौन मतदाता मतदान का अधिकार रखेगा और कौन सूची से बाहर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस अवधि के दौरान यदि किसी मतदाता का नाम सूची में गलत दर्ज है, छूट गया है, किसी मृत व्यक्ति का नाम अभी भी सूची में शामिल है या कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया जाता है, तो उसे सुधार या आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा अभ्यास पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाएगा, ताकि केवल योग्य और वास्तविक मतदाता ही सूची में शामिल रहें। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस जारी करने, गणना प्रपत्रों पर निर्णय लेने और दावों एवं आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, ताकि उनके नाम को सूची में शामिल या बरकरार रखा जा सके। इस पूरी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद 6 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की

जाएगी, जो आगामी विधानसभा और अन्य चुनावों के लिए आधार बनेगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है, जब देश के कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है या पूरा हो चुका है। बिहार में पहले चरण के सफल समापन के बाद एसआईआर अभ्यास का दूसरा चरण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस अभ्यास का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और भरोसेमंद बनाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

अन्य राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह साफ हो जाता है कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में 19 दिसंबर को चुनाव आयोग ने 5.43 करोड़ से अधिक मतदाता गणना प्रपत्र एकत्र करने के बाद मतदाता सूची का मसौदा जारी किया था। इस प्रक्रिया के दौरान मृत पाए जाने, निवास स्थान बदलने, लंबे समय से अनुपस्थित रहने या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होने के कारण 97 लाख 37 हजार 831 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। तमिलनाडु की अंतिम मतदाता सूची 2 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जानी है, जो चुनावों से लगभग पांच महीने पहले तैयार हो जाएगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य में 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। केरल में एसआईआर अभ्यास के बाद जब मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया, तो वहां 24.08 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए पाए गए। केरल की अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। मध्य प्रदेश में भी विशेष गहन पुनरीक्षण के जनगणना चरण के पूरा होने के बाद मतदाता सूची का पहला मसौदा जारी किया गया, जिसमें 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम हटाए जाने की जानकारी सामने आई। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर बेहद गंभीर है और बड़े पैमाने पर ऐसे नामों को हटाया जा रहा है, जो पात्र नहीं हैं या जिनकी स्थिति संदिग्ध है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी यह आशंका जताई जा रही है कि एसआईआर के दौरान लाखों नामों में संशोधन हो सकता है। इससे एक ओर जहां फर्जी और दोहरे मतदाताओं पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वे समय रहते अपने नाम की स्थिति की जांच कर लें। निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन कार्यालय लगातार मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वे 6 जनवरी 2026 के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची के मसौदे को ध्यान से देखें और यदि कोई त्रुटि हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोग का कहना है कि मतदाता जितना अधिक सक्रिय रहेंगे, सूची उतनी ही अधिक सटीक बनेगी। राजनीतिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य में मतदाताओं की संख्या करोड़ों में है और मतदाता सूची में मामूली बदलाव भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल भी इस प्रक्रिया पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। कई दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी योग्य मतदाता का नाम सूची से न छूटे।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से अहम है, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से भी बेहद जरूरी मानी जा रही है। 6 जनवरी 2026 को जारी होने वाला मतदाता सूची का मसौदा और 6 मार्च 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची आने वाले समय में राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। ऐसे में हर मतदाता के लिए यह जरूरी है कि वह इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले और अपने मताधिकार की रक्षा के लिए समय रहते जरूरी कदम उठाए।

अमित शाह का ममता सरकार पर तीखा हमला, बोले—2026 में खत्म होगा 'भाईपो राज', दो-तिहाई बहुमत से बनेगी भाजपा सरकार

(जीएनएस)। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान तेज़ी से बढ़ता नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर सीधा और आक्रामक हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद और प्रशासनिक मनमानी के गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में 'भाईपो राज' का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अमित शाह ने अपने संबोधन में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और सिंडिकेट संस्कृति को खुला संरक्षण दिया गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस राज्य में पैसा कमाने का अधिकार सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया है और वह हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी। शाह ने कहा कि राज्य में आम आदमी, व्यापारी, ठेकेदार और कर्मचारी सभी को डर और दबाव के माहौल में जीना पड़ रहा है, जबकि सत्ता से जुड़े कुछ लोगों के लिए कमाई के सारे रास्ते खुले हुए हैं।

गृह मंत्री ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में डीजीपी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों में नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। शाह ने कहा कि देश के कई राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन वहां प्रशासनिक नियुक्तियों में इस तरह

की मनमानी देखने को नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में सेवानिवृत्ति के बाद भी अधिकारियों को सलाहकार के नाम पर अहम पदों पर बनाए रखा जाता है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। उनके अनुसार यह पूरी व्यवस्था सत्ता को बचाने और भ्रष्टाचार को ढकने के लिए खड़ी की गई है।

अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी के रवैये पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री वंदे भारत जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाने पश्चिम बंगाल आते हैं, तब मुख्यमंत्री मंच पर तक नहीं जातीं। शाह ने इसे संघीय व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया और कहा कि ममता बनर्जी विभागीय नियमों को तोड़-मरोड़ कर अपने राजनीतिक हितों के अनुसार पेश करती हैं।

भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ-साथ अमित शाह ने अवैध अप्रवासन के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा और असम में घुसपैठ पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह अब भी जारी है। शाह का आरोप था कि ममता बनर्जी राजनीतिक फायदे और वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अप्रवासन को रोकना नहीं चाहतीं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है।

अपने संबोधन में अमित शाह ने मतुआ समुदाय को विशेष रूप से आश्वस्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मतुआ समाज को डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा का स्पष्ट रुख है कि जो भी उत्पीड़ित शरणार्थी बंगाल आए हैं, वे भारत के नागरिक हैं और कोई भी, चाहे वह कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शाह ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने पर नागरिकता, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देगी।

अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार की मौजूदा जनकल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि जो योजनाएं चल रही हैं, वे जारी रहेंगी और भाजपा जिन नई योजनाओं का वादा करेगी, उन्हें जमीन पर ईमानदारी से लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य सत्ता में आकर बदले की राजनीति करना नहीं, बल्कि विकास, पारदर्शिता और सुशासन स्थापित करना है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि 2026 का चुनाव पश्चिम बंगाल के लिए निर्णायक साबित होगा। शाह ने दावा किया कि जनता तृणमूल कांग्रेस की सरकार से ऊब चुकी है और अब बदलाव चाहती है। उनके अनुसार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हिंसा और तुष्टिकरण की राजनीति से लोग परेशान हैं और भाजपा को एक मजबूत विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

अमित शाह के इस आक्रामक बयान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभी तक इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शाह के इस बयान से चुनावी लड़ाई और अधिक तीखी होने वाली है। विपक्ष के तौर पर भाजपा लगातार ममता सरकार को भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के मुद्दे पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है।

कुल मिलाकर, अमित शाह का यह बयान सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि 2026 के चुनावों के लिए भाजपा का सियासी शंखनाद माना जा रहा है।

ब्राह्मण विधायकों के भोज से सियासी हलचल भाजपा में बयानबाज़ी से बढ़ा असमंजस

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा इन दिनों अपने ही भीतर उठे एक सियासी विवाद को लेकर असहज नजर आ रही है। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक और भोज के बाद पार्टी के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। एक ओर नव नियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने जाति आधारित बैठकों को पार्टी और संविधान की भावना के खिलाफ बताते हुए कड़ा रुख अपनाया, वहीं दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बयान से असहमति जताकर पूरे मामले को अलग नजरिए से देखने की बात कही है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि पंकज चौधरी का बयान कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया और क्या इससे ब्राह्मण समुदाय में पार्टी को लेकर गलत संदेश गया है।

पूरा मामला 23 दिसंबर का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में भाजपा और समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ बैठक की। यह बैठक भाजपा के कुशीनगर से विधायक पंचानंद पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर आयोजित हुई थी। अवसर उनकी पत्नी का जन्मदिन था, जिसमें भोज का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, वहीं समाजवादी पार्टी के कुछ बागी विधायक भी वहां पहुंचे। राजनीतिक रूप से यह बैठक इसलिए चर्चा में आई क्योंकि इसे एक जाति विशेष की बैठक के रूप में देखा गया और इसकी तस्वीरें व सूचनाएं तेजी से सार्वजनिक हो गईं।

इस बैठक के सामने आने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कड़ा बयान जारी किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाति आधारित किसी भी तरह की बैठकें पार्टी की विचारधारा और संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की बैठकों को अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। पंकज चौधरी के इस बयान के बाद पार्टी के भीतर ही हलचल तेज हो गई। कई नेताओं का मानना है कि बयान की भाषा और समय दोनों ही राजनीतिक रूप से संवेदनशील थे, खासकर ऐसे समय में जब भाजपा लगातार सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश कर रही है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पंकज चौधरी के बयान से अलग रुख अपनाते हुए कहा कि इस पूरे मामले को गलत नजरिए से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य को समझने की जरूरत है, न कि केवल नजरिया बनाने की। मौर्य ने उदाहरण देते हुए कहा कि विधायक आपस में मिलते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाते हैं, किसी के जन्मदिन या शादी की सालगिरह में शामिल होते हैं, यहां तक कि लिट्टी-चोखा खाने भी चले जाते हैं, तो इसे जाति आधारित बैठक नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि नेताओं का मिलना-जुलना स्वाभाविक है और इसे अनुशासनहीनता से जोड़ना उचित नहीं।

केशव मौर्य के समर्थन में भाजपा के अन्य मंत्री भी सामने आए। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों का एक-दूसरे से मिलना, बैठना और चर्चा करना सामान्य प्रक्रिया है। इसे जातिवाद से जोड़ना सही नहीं है। वहीं मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि सदन के दौरान अक्सर चार से छह लोग एक साथ बैठते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग साथ बैठते हैं तो उसे क्षेत्रीय बैठक कहा जाता है, ऐसे में ब्राह्मण विधायकों के एक साथ बैठने को अलग नजर से क्यों देखा जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बैठक में शामिल लोगों ने संभवतः राष्ट्र, सनातन और पार्टी को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर ही चर्चा की होगी, न कि किसी जातिगत एजेंडे पर।

भाजपा के पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने भी इस बैठक का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिन्हें इसमें गलत दिखता है, वे अपनी राय रखें, लेकिन इसे बेवजह तूल देना ठीक नहीं है। बृज भूषण सिंह के बयान से यह साफ हो गया कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर एकराय नहीं है और अलग-अलग नेता इसे अपने-अपने तरीके से देख रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच विपक्ष को भाजपा पर हमला करने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने इसे ब्राह्मण मतदाताओं से जोड़कर भाजपा को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा के ब्राह्मण नेताओं से अपील की कि वे इस मामले में सख्त रुख अपनाएं और अपने सम्मान की रक्षा करें। उनका कहना था कि सार्वजनिक रूप से चेतावनी देकर और अनुशासनहीन करार देकर पार्टी नेतृत्व ने अपने ही विधायकों का अपमान किया है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा कि जब किसी को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी जाती है और उसे अनुशासनहीन बताया जाता है, तो इससे नाराजगी और असंतोष बढ़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे कदम अंततः यह साबित करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग अहंकार में आकर फैसले ले रहे हैं और यही अहंकार उन्हें बेकाबू बना देता है। अखिलेश यादव के बयान को ब्राह्मण समुदाय के बीच एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें सपा खुद को उनके हितैषी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पूरा विवाद सिर्फ एक बैठक या भोज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आगामी चुनावों की रणनीति और सामाजिक समीकरण भी जुड़े हुए हैं।

लखनऊ में अटल नगर योजना के फ्लैटों की लॉटरी 8 और 9 जनवरी को, शहरवासियों का घर का सपना होगा साकार

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना के फ्लैटों का वितरण लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। लॉटरी 8 और 9 जनवरी, 2026 को आयोजित होगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस लॉटरी का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मकरी हॉल में किया जाएगा, जहां पारदर्शी प्रक्रिया के तहत पात्र आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी पर्चियां निकाली जाएंगी।

अटल नगर योजना के तहत 12 से 19 मंजिल के कुल 15 टावर बनाए गए हैं, जिनमें 2,496 फ्लैट्स उपलब्ध हैं। इनमें 1,832 फ्लैट 01 बीएचके के और 664 फ्लैट 02 बीएचके के हैं। फ्लैट का क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर से लेकर 54.95 वर्गमीटर तक है और कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू होती है। एलडीए ने इस अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लिफ्ट का प्रावधान, स्वच्छ जल एवं विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, ग्रीन एवं किड्स प्ले एरिया और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी दी है।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 4 अक्टूबर से 2 दिसंबर, 2025 तक खुला था और इस दौरान कुल 5,781 लोगों ने पंजीकरण कराया। अब 8 एवं 9 जनवरी को पात्र आवेदकों की उपस्थिति में लॉटरी ड्रा किया जाएगा, ताकि फ्लैटों का आवंटन निष्पक्ष रूप से हो सके। लॉटरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण एलडीए

के यू-ट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा, ताकि हर नागरिक इसकी पारदर्शिता को देख सके।

एलडीए उपाध्यक्ष ने यह भी जानकारी दी कि नए साल के अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शारदा नगर विस्तार में बनाए गए 2,256 भवनों का पुनः पंजीकरण और लॉटरी ड्रा किया जाएगा। इनमें से रिफंड या किसी कारणवश खाली हुए 185 फ्लैटों का पुनः आवंटन किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक किया जा सकेगा। पंजीकरण के लिए एलडीए की वेबसाइट के माध्यम से पांच हजार रुपये पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण पुस्तिका भी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

अटल नगर योजना न केवल लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आधुनिक सुविधाओं और बेहतर जीवनशैली का अवसर भी प्रदान करती है। योजना में लिफ्ट, सुरक्षित पार्किंग, ग्रीन एवं खेल क्षेत्र जैसी सुविधाओं के साथ-साथ स्वच्छ जल और पावर बैकअप जैसी आधारभूत सुविधाओं का समावेश इसे खास बनाता है। इससे न केवल आवास की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शहर में व्यवस्थित और आधुनिक आवासीय ढांचा भी तैयार होगा।

लॉटरी के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन करने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि कोई पक्षपात न हो और सभी पात्र आवेदकों को समान अवसर मिल सके। लॉटरी में भाग लेने वाले नागरिकों के लिए पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रखी गई है। एलडीए ने यह सुनिश्चित किया है कि आवंटन के दौरान सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाए और किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इस योजना के अंतर्गत शहरवासियों को न केवल किफायती आवास मिलेगा, बल्कि उन्हें आधुनिक जीवनशैली का अनुभव भी होगा। एलडीए ने बताया कि इस योजना में सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे आवासीय परिसर में रहने वाले लोग सुरक्षित और आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकें।

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सभी इच्छुक नागरिकों से अपील की है कि वे लॉटरी प्रक्रिया में समय पर भाग लें और पात्रता शर्तों का ध्यान रखें। उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकरण शुल्क जमा कर केवल पात्र आवेदक ही लॉटरी में शामिल होंगे। इस प्रकार, लॉटरी के जरिए घर का सपना साकार करने का अवसर सभी नागरिकों के लिए खुला रहेगा।

इस योजना के तहत फ्लैटों का वितरण न केवल आवासीय सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि लखनऊ शहर के विस्तार और व्यवस्थित विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। एलडीए की यह पहल शहरवासियों के लिए नए साल की शुरुआत में विशेष उपहार के समान है, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार और आरामदायक जीवन की गारंटी मिलेगी।

अंततः, अटल नगर आवासीय योजना के तहत आयोजित होने वाली लॉटरी 8 और 9 जनवरी को लखनऊवासियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी। पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे शहरवासियों का घर का सपना साकार होगा और आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय जीवन का आनंद सभी नागरिक उठा सकेंगे।

Gautam Buddha Nagar में नववर्ष के मद्देनजर धारा 163 लागू, सुरक्षा के लिए जिले में तैनात होगा भारी पुलिस बल

(जीएनएस)। गौतमबुद्ध नगर। नववर्ष 2026 के जश्न को देखते हुए जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने मंगलवार से जिले में धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत बिना कारण भीड़ एकत्र होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अपर पुलिस आयुक्त राजीव नारायण मिश्र ने सेक्टर-18, गार्डन गैलेरिया और जीआईपी मॉल का निरीक्षण कर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बार और रेस्तरां संचालकों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा और शांति बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने बताया कि जिले के प्रमुख मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें विशेष निरीक्षण दल, पीएसी, मोबाइल पेट्रोलिंग और स्थानीय थाना स्तर की टीमों को शामिल किया गया है। मॉल और व्यस्त इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच और निगरानी की जाएगी।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस का यह अभियान नववर्ष के दौरान तीन दिनों तक लगातार जारी रहेगा। इसके तहत ड्राइवरों के शराब सेवन की जांच की जाएगी और नियमों

का उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

भीड़ प्रबंधन को लेकर पुलिस ने मॉल प्रबंधन और व्यवसायियों को भी दिशा-निर्देश दिए हैं। अधिक भीड़ होने की स्थिति में प्रवेश द्वार को बंद करने, आग से बचाव के उपायों का पालन करने और सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।

इसके अलावा, सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है और CCTV कैमरों की निगरानी को सघन किया गया है। गार्डन गैलेरिया, जीआईपी मॉल, सिटी सेंटर और सेक्टर-18 सहित जिले के अन्य व्यस्त इलाकों में पुलिसकर्मी पैदल और वाहन द्वारा गश्त करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित थाने को दी जाएगी।

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतें और बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लोगों को अनावश्यक भीड़ से दूर रखें। उन्होंने कहा कि धारा 163 का उद्देश्य जनता को सुरक्षित रखना है, न कि किसी को डराने या परेशान करने का।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस का यह भी कहना है कि नववर्ष के अवसर पर होने वाले आयोजनों, समारोहों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच अनिवार्य होगी। मॉल और सार्वजनिक स्थल पर भारी भीड़ की स्थिति में यातायात को नियंत्रित करने और आवश्यक मार्ग परिवर्तित करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस तैयारी के तहत पुलिस ने स्थानीय प्रशासन, नगर निगम और मॉल प्रबंधन के साथ मिलकर आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना भी बनाई है। इसमें आकस्मिक घटनाओं, जैसे भीड़ में भगदड़, दुर्घटना या किसी तरह की हिंसा की स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य करने की प्रक्रिया तय की गई है।

अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात हैं और नववर्ष के मौके पर कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। उन्होंने व्यापारियों, मॉल संचालकों और नागरिकों से सहयोग की अपील की और कहा कि नियमों का पालन करने से नववर्ष का जश्न सुरक्षित और खुशहाल रहेगा।

यूपी राजनीति में बड़ा फेरबदल तय: संगठन, मंत्रिमंडल और बोर्डों में बदलाव के लिए मंथन, मकर संक्रांति के बाद होंगे बड़े बदलाव

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा में राजनीतिक और संगठनात्मक बदलाव की हवा बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मंगलवार को उनके आवास पर हुई कोर कमिटी की बैठक में संगठन, मंत्रिमंडल और आयोग-बोर्डों के खाली पदों को लेकर गंभीर मंथन हुआ। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक पूर्वी अनिल और पश्चिमी महेंद्र कुमार मौजूद रहे।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में तय किया गया कि भाजपा प्रदेश संगठन में जल्द बदलाव किया जाएगा और नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया जाएगा। संगठन और मंत्रिमंडल के बदलाव पर मंथन का उद्देश्य विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए सभी जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन बनाए रखना है। यह भी देखा जा रहा है कि अब तक कई विभागीय और संगठनात्मक जिम्मेदारियों में बैलेंस की कमी रही है, जिसे सुधारने की योजना बनाई जा रही है। प्रदेश संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी हाल ही में चुने गए हैं और उनके नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव के लिए केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी भी ली जाएगी। बैठक में तय किया गया कि मकर संक्रांति के बाद बदलावों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, ताकि संगठन और सरकार दोनों ही आगामी विधानसभा चुनाव 2027 तक तैयार रहें।

प्रदेश सरकार में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कुल 54 मंत्री हैं। बैठक में यह चर्चा हुई कि नए बदलाव के बाद मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 60 की जा सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद दो मंत्री सांसद बन गए हैं—PWD मंत्री जितिन प्रसाद और राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि। इनकी जगह अब किसी अन्य को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के मंत्रिमंडल

में शामिल होने की संभावना भी है। इसके अलावा संगठन से कुछ नेताओं को मंत्री या उच्च पदों पर समायोजित किया जा सकता है।

बैठक में मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस को आधार बनाकर बदलाव पर भी चर्चा हुई। कई विभागों में कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है, जबकि कुछ विभागीय कार्य और स्वतंत्र प्रभार के चलते कुछ राज्य मंत्रियों का कद बढ़ाकर उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही आयोगों और बोर्डों में कई पदों पर नई नियुक्तियों पर भी विचार किया गया।

राज्य में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए भी बदलाव किया जाएगा। बैठक में चर्चा हुई कि पूर्वांचल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अभी कुछ ज्यादा है। इसके मद्देनजर पश्चिम क्षेत्र से नेताओं को संगठन या मंत्रिमंडल में जगह देकर संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी। हाल ही में ब्राह्मण और ठाकुर विधायकों की विभिन्न जातीय बैठकें हुई हैं, जिसके आधार पर सभी जातियों का संतुलन बनाए रखना भाजपा की प्राथमिकता है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में यह भी चर्चा हुई कि संगठन और मंत्रिमंडल में बदलाव का समय अभी इसलिए मकर संक्रांति के बाद चुना गया है ताकि खरमास के दौरान किसी प्रकार की हलचल से बचा जा सके और अध्यक्ष को संगठन की नई रणनीति को समझने का पर्याप्त समय मिल सके। केंद्रीय नेतृत्व के सुझाव और मंजूरी के बाद ही बदलावों को लागू किया जाएगा।

भाजपा के नेताओं के अनुसार, यह बदलाव सिर्फ संगठन और मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं होगा, बल्कि बोर्ड, आयोग और अन्य जिम्मेदारियों में भी नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। यह कदम न केवल संगठन को मजबूत करेगा बल्कि सरकार और पार्टी की कार्यक्षमता को भी बढ़ाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि बदलावों के बाद प्रदेश की राजनीतिक तैयारियों को और चुस्त किया जाएगा, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी अधिक मजबूती के साथ उतर सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फेरबदल भाजपा के लिए रणनीतिक कदम है। संगठन और मंत्रिमंडल में संतुलन बनाए रखना, जातीय समीकरण को ध्यान में रखना और युवा नेताओं को अवसर देना भाजपा की आगामी चुनावी तैयारियों को मजबूत करेगा। इस बदलाव के बाद नए चेहरों को अधिक जिम्मेदारियां दी जाएंगी और पार्टी की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाया जाएगा।

अंततः, यूपी भाजपा के संगठन और सरकार में होने वाले यह बड़े बदलाव न केवल वर्तमान मंत्रियों और पदाधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि पार्टी के आगामी राजनीतिक रणनीति और चुनावी तैयारियों के लिए भी निर्णायक साबित होंगे। मकर संक्रांति के बाद प्रदेश में होने वाले बदलाव प्रदेश भाजपा के लिए नए अध्याय की शुरुआत माने जाएंगे, जो 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करेंगे।

ओडिशा से यूपी तक गांजा तस्करी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, STF ने 60 लाख रुपये कीमत के गांजे के साथ 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को दबोचा

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा से उत्तर प्रदेश में गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में चार तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 2 कुंतल 24 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपये आंकी गई है। यह कार्यवाही राज्य में नशे की तस्करी और उसके खतरों को रोकने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। एसटीएफ फील्ड यूनिट मेरठ की टीम ने 30 दिसंबर को हापुड़-किठौर रोड, थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर दो संदिग्ध लग्जरी गाड़ियों को रोका। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ और चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान इस प्रकार हुई है—अनुज, अमजद, राहुल कुमार और खुशनुद खान, जो मेरठ, शामली और गंगानगर के निवासी हैं। एसटीएफ ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 2 कुंतल 24 किलो गांजा, दो कारें और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि गांजा ओडिशा से प्रति किलो 4 हजार रुपये की दर से खरीदा गया था। इसे मुजफ्फरनगर के ग्राम खोखनी में ग्राम प्रधान फरमान के बताए स्थान पर उतारना था। आरोप है कि फरमान प्रधान इस गांजे को 8 से 10 हजार रुपये प्रति किलो में आगे बेचता था।

आरोपियों के पूर्व रिकॉर्ड की बात करें तो खुशनुद खान के खिलाफ पहले से 3 मुकदमे, अमजद के खिलाफ 2 मुकदमे और अनुज के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। पेशे के लिहाज से अमजद मेरठ में ई-रिक्शा और बैटरी एजेंसी चलाता है, अनुज गंगानगर में ओयो होटल संचालित करता है, राहुल खेती करता है, जबकि खुशनुद पेशे से ट्रक ड्राइवर है और 2021 से तस्करी में शामिल रहा है। एसटीएफ ने बताया कि यह कार्रवाई केवल गिरोह के सामने आए चार सदस्यों तक सीमित नहीं है। इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है और जल्द ही इस तस्करी गिरोह की जड़ तक पहुंचने के लिए और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह का संचालन अंतर्राज्यीय स्तर पर होता था, जिससे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नशे की आपूर्ति होती थी।

विशेष रूप से यह कार्रवाई राज्य और देश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि नशे की तस्करी न केवल युवाओं के जीवन और समाज को प्रभावित करती है, बल्कि इसके जरिए अवैध धन का संचय होता है और अपराध की जड़ें मजबूत होती हैं। इस तरह की कार्रवाईयों से तस्करों के लिए खतरे की घंटी बजती है और पुलिस के समर्पित प्रयासों का संदेश मिलता है कि कोई भी मादक पदार्थ तस्करी की गतिविधि बेअसर नहीं रह सकती।

एसटीएफ की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा बढ़ा है। अधिकारी लगातार राज्य में नशे की तस्करी के मामलों पर नजर रख रहे हैं और ऐसे नेटवर्क को पकड़ने के लिए मुखबिरों और तकनीकी साधनों का उपयोग कर रहे हैं। इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया कि पुलिस विभाग अंतर्राज्यीय तस्करी को रोकने के लिए पूरी तरह सक्रिय है और अपराधियों के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश में नशे की तस्करी पर नियंत्रण पाने के प्रयास को बल मिला है। STF ने यह भी कहा कि राज्य में नशे के कारोबार से जुड़े अन्य गिरोहों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से न केवल नशे के कारोबारियों के लिए चेतावनी गई है, बल्कि आम जनता को यह विश्वास भी मिला है कि पुलिस उनके सुरक्षा के लिए सतर्क और सक्रिय है।

अंततः, इस अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश और चार तस्करों की गिरफ्तारी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर नशे की रोकथाम के प्रयासों में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जल्द ही इस मामले में और भी खुलासे होंगे, जिससे अपराध के इस जाल को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी विवाद में पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत 10 के खिलाफ FIR, SHO लाइन हाजिर, अतिक्रमण और अवैध निर्माण की जांच तेज

(जीएनएस)। लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित स्वास्तिका सिटी में सड़क पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को लेकर उठे विवाद ने कानूनी दिशा पकड़ ली है। इस मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जौनपुर के महराजगंज ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह, उनके सरकारी गनर और अन्य सात अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जमीन कब्जाने, धमकी देने, एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला स्वास्तिका सिटी की 20 फुट चौड़ी सार्वजनिक सड़क पर कथित अतिक्रमण और दीवार निर्माण से जुड़ा है। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान विनय सिंह ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम लेकर स्थानीय निवासियों को धमकाया। इस कारण इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध कर दबाव के बल पर निर्माण कराया जा रहा था और विरोध करने पर उन्हें डराया-धमकाया गया।

इस विवाद के शुरुआती दौर में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई। सुशांत गोल्फ सिटी के तत्कालीन SHO उपेंद्र सिंह पर आरोप था कि उन्होंने पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया था, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस विभाग सक्रिय हुआ। जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और SHO उपेंद्र सिंह को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच की जा रही है। अतिक्रमण, धमकी और कथित जातिसूचक उत्पीड़न से जुड़े आरोपों की गहन जांच की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो अन्य धाराएं भी मुकदमे में जोड़ी जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि कानून का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर अतिक्रमण या दबाव बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोग भी इस मामले पर सतर्क हैं और पुलिस की कार्रवाई की निगरानी कर रहे हैं। स्वास्तिका सिटी में सड़क पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के इस विवाद ने यह साफ कर दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार की मनमानी या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही मामले में और खुलासे होने की उम्मीद है।

केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच कमेटी में बदलाव, महिला डॉक्टर और रिटायर्ड आईपीएस शामिल, आरोपी डॉक्टर निलंबित

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में कथित लव जिहाद और धर्मांतरण के विवाद ने नई दिशा पकड़ी है। इस मामले की जांच समिति में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसमें अब एक महिला डॉक्टर और एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को शामिल किया गया है। केजीएमयू प्रशासन ने यह निर्णय विश्व हिंदू परिषद (VHP) के साथ हुई बैठक और प्राप्त ज्ञापन के आधार पर लिया। जानकारी के अनुसार, जांच समिति में अब स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की अध्यक्ष डॉ. मंजू अग्रवाल को शामिल किया गया है। साथ ही, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह को भी समिति का हिस्सा बनाया गया है। समिति की यह नई संरचना विश्वविद्यालय प्रशासन और VHP द्वारा उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। केजीएमयू प्रशासन ने बताया कि आरोपी डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है और उन्हें केजीएमयू कैंपस में आने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। जांच समिति की सोमवार शाम को बैठक हुई और एक विशेष ईमेल आईडी factfindingcommittee@kgmcindia.edu जारी की गई है, जहां लोग धर्मांतरण और लव जिहाद से जुड़े किसी भी सबूत या जानकारी को साझा कर सकते हैं।

जांच समिति ने अपने प्रारंभिक निष्कर्षों में यह पाया कि विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों में किसी विशेष समुदाय के लोगों की संख्या को लेकर लगाए गए आरोप निराधार हैं। समिति की रिपोर्ट के अनुसार, केजीएमयू में कुल 3995 संविदा गैर-शिक्षण कर्मचारी (Non-Teaching Contractual Employees) हैं, जिनमें से 289 माइनॉरिटी समुदाय के हैं। पैथालोजी विभाग में कुल 51 संविदा कर्मचारी हैं, जिनमें से केवल 2 माइनॉरिटी हैं। पीओसीटी (Point of Care Testing) में 174 संविदा कर्मचारी हैं, जिनमें 25 माइनॉरिटी शामिल हैं।

केजीएमयू प्रशासन ने पूरे प्रकरण पर आधिकारिक बयान जारी करने के लिए भी तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। इस टीम में प्रो. केके सिंह (समिति अध्यक्ष), प्रो. आरएएस कुशवाहा (कुलानुशासक) और स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. अंजू अग्रवाल शामिल हैं। इस टीम का उद्देश्य पूरी जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है और मीडिया तथा आम जनता को समय-समय पर स्थिति से अवगत कराना है।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि समिति की जांच का मुख्य फोकस केवल आरोपी डॉक्टर के कथित कृत्यों और धर्मांतरण के आरोपों पर होगा, जबकि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में किसी विशेष समुदाय के बढ़-चढ़ कर होने या किसी जाति विशेष के पक्षपात का आरोप निराधार पाया गया है। जांच समिति सभी तथ्यों, साक्ष्यों और दावों की गहन समीक्षा कर रही है और आवश्यकतानुसार और धाराओं या कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

इस मामले में हिंदूवादी संगठनों और मेडिकल संघों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए गए हैं, जिसके चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह कदम उठाया। अधिकारियों का कहना है कि धर्मांतरण और लव जिहाद के आरोपों की जांच पूरी तरह से कानूनी और निष्पक्ष रूप से की जाएगी। समिति का यह नया स्वरूप विवादित मुद्दों पर तटस्थ और ठोस निर्णय देने में सक्षम माना जा रहा है। जांच के दौरान समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि विश्वविद्यालय का माहौल शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बना रहे, ताकि किसी भी तरह का तनाव या विवाद परिसर में बढ़ न पाए। केजीएमयू प्रशासन ने सभी कर्मचारियों और छात्रों से अपील की है कि वे जांच प्रक्रिया में सहयोग करें और अफवाहों या अनावश्यक चर्चा से बचें।

कुल मिलाकर, केजीएमयू धर्मांतरण विवाद अब नई जांच समिति के गठन और अधिकारियों की सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें महिला डॉक्टर और रिटायर्ड आईपीएस के शामिल होने से समिति की निष्पक्षता और व्यापक दृष्टिकोण को मजबूती मिली है। आगामी दिनों में समिति की रिपोर्ट आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यूपी में SIR की नई तारीखें जारी, मतदाता सूची का मसौदा 6 जनवरी, अंतिम सूची 6 मार्च को – विस्तृत जानकारी

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्यक्रम का कार्यभार भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने की पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नई समय-सारिणी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने इस कार्यक्रम का विस्तृत विवरण साझा किया है। संसोधित कार्यक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का मसौदा 06 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया जाएगा। इस मसौदे के प्रकाशन के बाद सभी नागरिकों को अपना नाम और विवरण जांचने का अवसर मिलेगा। यदि किसी मतदाता को लगता है कि उसका नाम सूची में नहीं है, गलत है या अन्य किसी त्रुटि का सामना कर रहा है, तो वे अपनी आपत्ति या दावा 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 के बीच दर्ज करा सकते हैं।

इसके बाद, 06 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण और गणना प्रपत्रों पर निर्णय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान हर दावे की गहन जांच की जाएगी, ताकि अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह से सटीक और भरोसेमंद बने। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 06 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। इस सूची के प्रकाशन के बाद ही आगामी चुनावों में मतदान की प्रक्रिया के लिए आधार तैयार होगा। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपने नाम और पते की जांच समय रहते कर लें और किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुधार के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करें।

इस बार SIR कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना है। आयोग ने राज्यों में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभ्यास के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की यह नई समय-सारिणी तैयार की है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी मतदाता, चाहे वे शहरी क्षेत्र में हों या ग्रामीण क्षेत्र में, समान रूप से अपने मताधिकार की पुष्टि कर सकें।

इस विस्तारित प्रक्रिया के तहत मतदाता अपने नाम, जन्मतिथि, पते और अन्य व्यक्तिगत विवरणों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी जाँच सकते हैं। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो वह दावे और आपत्ति के तहत सुधार के लिए आवेदन कर सकता है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि दावे और आपत्तियों की गहन जाँच और समयबद्ध निस्तारण के बाद ही अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।

इस नई समय-सारिणी के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण की गतिविधियां तेजी से संचालित होंगी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची की समीक्षा अवश्य करें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। साथ ही, यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सभी योग्य मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें और चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो।

इस बार उत्तर प्रदेश में SIR कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राज्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें रेडियो, समाचार पत्र, टीवी और डिजिटल माध्यमों के जरिए मतदाताओं को अपने नाम की जांच और आपत्ति दर्ज कराने की जानकारी दी जाएगी।

170 भेड़ों की अचानक मौत से सनसनी, मुख्यमंत्री योगी ने प्रति भेड़ 10 हजार रुपये मुआवजे का किया ऐलान, जांच तेज

(जीएनएस)। लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चैला गांव में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के पास अचानक 170 भेड़ों की मौत ने स्थानीय किसानों और पशु पालकों में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं और मृत भेड़ों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृत भेड़ के मालिक को 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जिससे किसानों को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जा सके।

पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारी डॉ. राम प्रकाश सचान ने बताया कि मृत भेड़ों का पोस्टमार्टम किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि भेड़ों ने सामान्य रूप से चरने वाली घास ही खाई थी। मृतकों का सैंपल अब प्रयोगशाला में भेजा गया है, ताकि मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सके।

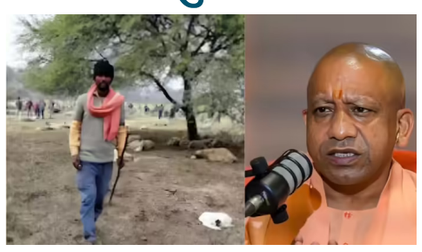

वहीं, घायल भेड़ों का तुरंत इलाज किया गया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया।

चैला गांव के भेड़ चरवाहों ने घटना के बारे में जानकारी दी। चरवाह विजय पाल ने बताया कि रविवार शाम से भेड़ों में अचानक अस्वस्थता शुरू हुई और उनमें से कई ने विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। रात भर यह स्थिति बिगड़ती रही और कुछ भेड़ें मर गईं। सुबह घटना की सूचना मिलने पर पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और घायल भेड़ों का इलाज किया गया। शिव रतन नामक अन्य चरवाह ने कहा कि कुछ भेड़ों ने अज्ञात विषैले पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। इलाज के बाद कुछ भेड़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन जो ठीक नहीं हुईं, उनके लिए योगी सरकार ने आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है।

इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रशासनिक लापरवाही की घटना है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी जी के फीता काटने और चमक-धमक के पीछे प्रशासन ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से 170 निर्दोष और बेजुबान भेड़ों की जान चली गई। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार कौन है और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा।

स्थानीय किसानों और पशुपालकों के लिए यह घटना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि भावनात्मक चोट भी साबित हुई है। कई किसान अपनी आजीविका भेड़ों पर आधारित रखते हैं, और इतने बड़े पैमाने पर मृत भेड़ों ने उन्हें आर्थिक संकट में डाल दिया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मृत भेड़ों के मुआवजे के साथ-साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे।

मौके पर पशु चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है और ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि पशुओं को सुरक्षित चारागाह पर ही चराएं और संदिग्ध खाद्य या कचरे से दूर रखें। जांच पूरी होने के बाद ही मौत के असली कारण का खुलासा होगा। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।